[1][Rule 5 : Supply of services attributable to different states/Union Territories u/s 12(7)

The supply of services attributable to different States or Union territories, under sub section (7) of section 12 of the said Act, in the case of-

(a) services provided by way of organisation of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event , including supply of services in relation to a conference, fair exhibition, celebration or similar events; or

(b) services ancillary to the organisation of any such events or assigning of sponsorship to such events ,

where the services are supplied to a person other than a registered person, the event is held in India in more than one State or Union territory and a consolidated amount is charged for supply of such services, shall be taken as being in each of the respective States or Union territories, and in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined by application of the generally accepted accounting principles.

Illustration: An event management company E has to organise some promotional events in States S1 and S2 for a recipient R. 3 events are to be organised in S1 and 2 in S2. They charge a consolidated amount of Rs. 10,00,000 from R. The place of supply of this service is in both the States S1 and S2. Say the proportion arrived at by the application of generally accepted accounting principles is 3:2. The service shall be deemed to have been provided in the ratio 3:2 in S1 and S2 respectively. The value of services provided will thus be apportioned as Rs. 6,00,000/- in S1 and Rs. 4,00,000/- in S2.**]**

---

1 Rule 5 inserted by Noti. No. 04/2018–Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

[1][नियम 5 : धारा 12(7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,–

(क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल–कूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन के रुप में दी गई सेवाएं जिसके अंतर्गत किसी सम्मेलन, मेला प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के संबंध में सेवाओं की पूर्ति भी है; या

(ख) किसी ऐसे समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रयोजन का समनुदेशन,

के मामले में, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को सेवाओं की पूर्ति की जाती है, समारोह भारत में एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से संबंधित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है वहां सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लागू होने के द्वारा अवधारित किया जाएगा।

दृष्टांत : एक समारोह प्रबंधक कंपनी 'ई' राज्य एस 1 और राज्य एस 2 में सेवा प्राप्तिकर्ता 'आर' के लिए कुछ अभिप्रेरणात्मक समारोह आयोजित करती है। 3 समारोह एस 1 में और 2 समारोह एस 2 में आयोजित होनें हैं, उसने 10,00,000/– रु. की संचित रकम 'आर' से भारित की। साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लागू होने के द्वारा अनुपात मानो 3:2 के रुप में पहुंचा। सेवाओं को क्रमशः एस 1 और एस 2 में 3:2 के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा। प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य इस प्रकार 6,00,000/– रुपए एस 1 में और 4,00,000/–रुपए एस 2 में प्रभाजित किया जाएगा।]

---

1 नियम 5 अधिसूचना क्रमांक 4/2018–एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावषील दिनांक 01.01.2019)।
राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये है। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये है।